रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D (D) 72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 169] नई दिल्ली, बुधवार, मई 31, 1978/ज्येष्ठ 10, 1900
No. 169] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 31, 1978/JYAISTHA 10, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 1978

सा० का० नि० 311(अ)—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध राज्यों की परामर्श करने के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम अखिल भारतीय सेवा (गृहनिर्माण कर्ज) नियम 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाषा :—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "सेवा के सदस्य" से अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 2 में परिभाषित अखिल भारतीय सेवा का सदस्य अभिप्रेत है।

3 गृह निर्माण कर्ज का विनियमन :—सेवा का कोई सदस्य ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों के अधीन गृहनिर्माण कर्ज की मंजूरी का पात्र होगा, जो केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'क' के अधिकारियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।

परन्तु ऐसा सदस्य ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों के अधीन मकान निर्माण कर्ज की मंजूरी को चुन सकता है जो राज्य सिविल सेवा के श्रेणी-1 के अधिकारियों के उस राज्य सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं, जिनके संवर्ग में वह है।

4. निर्वचन :—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसे केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और वह इसका विनिश्चय करेंगी।

[सं० 29019/1/76-अ०भा०से० (ii)]

वी० के० चेरियन, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 1978

G.SR. 311(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement:—(i) These rules may be called the All India Services (House Building Advance) Rules, 1978.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definition :—In these rules, unless the context otherwise requires "member of the Service" means a member of an All India Service, as defined in section2 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951).

3. Regulation of House Building Advance :—A member of the Service shall be eligible to the grant of House Building Advance at such rates, and subject to such conditions as may be specified by the Central Government from time to time in respect of officers of the Central Civil Services, Group 'A'.

Provided that such member may elect to the grant of House Building Advance at such rates subject to such conditions as may be specified from time to time by the State Governments or State Governments on whose cadre he is borne in respect of officers of the State Civil Service, Class 1.

4. Interpretation :—If any question arises as to the interpretation of the rules, it shall be referred to the Central Government who shall decide the same.

[No. 29019/1/76-AIS(II)]

V. K. CHERIAN, Desk Officer.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978